Title: Regarding pathetic condition of Banjara community in the country.

श्री रविन्दर नाइक धारावत (वारंगल) : अध्यक्ष जी, मैं बंजारा समुदाय की तरफ से आपको बंजारा बोली में 'पंच पचारे राजा भोजे रि सभा,पचारे लाख, अन पचारे सवालाख, भाइन सगा से पचारे जगत जिसके लिए आपने मुझे इस विाय पर बोलने की अनुमति दी। मैं आपको घन्यवाद देता हूं । मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से बंजारा समुदाय, जो 12 नामों जैसे - ग्वारिया, मारू, ब्रज्वासी, सिरकीबंद, बाजीगर, धनकुटा, नट, ग्वाल, बादी, मथुरा सिकलीगर और कांग्श्या नाम से जाने जाते हैं, जिनकी सम्स्याओं के समाधान के लिये सरकार का ध्यान आकर्ति करना चाहता हूं।

बंजारा समुदाय पूरे देश के गांवों और शहरों से दूर एक लाक बंजारा टाँडों (बस्तियों) में रहता है जिन्हें आज तक न्यूनतम सुविधाओं से वंचित रखा गया है। आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार में बंजारा समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है जब कि कर्नाटक, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राज्स्थान में इसे अनुसूचित जाति का दर्जा मिला हुआ है। देश के शेा राज्यों में बंजारा समुदाय को किसी श्रेणी में भी नहीं रखा गया. है। इसलिए यह समुदाय काफी सुविधाओं से वंचित है। मैं आप्से गुज़ारिश करूंगा कि आप सरकार को आदेश दीजिये। जैसा 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. इन्दिरा गाधी ने एक अध्यादेश के जरिये बंजारा समुदाय को आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाया था, उसी प्रकार देश के बाकी क्षेत्रों के लिये भी आदेश होना चाहिये। मैं 2-3 पाइंट्स आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि बंजारों की बस्तियां रैकग्नाइज नहीं हुई हैं। इनकी बस्तियों को ग्राम पंचायत का दर्जा मिलना चाहिये। इनको न्यूनतम सुविधायें देने के लिये विशेा बजट एलोकेशन होना चाहिये। 12 नामों वाले बंजारा समुदाय की भाा गोर बोली है जिसकी लिपि नहीं है और इनकी जन्संख्या 6 करोड़ है। इनकी भाा गोर बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में लाया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने संविधान की धारा 340 के अंतर्गत पिछले मार्च में संचार, घुमन्तु समाजों और बंजारा समुदाय के लिये एक आयोग का गठन किया है जो इनके आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को देखेगा। मेरा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इस आयोग की रिपोर्ट सरकार को पेश की जाये ताकि उस पर कार्य् वाही की जा सके।